

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, (सीकर)

नरेश सिंह खन्ना कलक्टर

नम्बर
अहमदाबाद
हुक्म नं.
में

तारीख हुक्म

६/०१

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

सु.नं. 101/2023

08-12-23

अ. वि.
जि. नं. ०८

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित/प्रीति अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24-12-23 को पेश हो।

विनोद

कावरे
27.12.23

अ. वि.
जि. नं. ०८

सुनिता

अज्ञानकर्ता
कजरेगुला
ESD
(प्रमाणित)

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 34 ता 36 की सम्यक तामिल हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकुलाय उभय पक्षकारान के निवेदन पर प्रस्तुत वादपत्र बाबत इस्तकरार हक, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर राजीनामा को डिक्री का भाग बनाते हुए डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

27/12/23

विलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (नैमकाथाना)



न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी - श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
101/2023	2023/195	27.06.2023	27.12.2023

उनवान प्रकरण

1. नन्दसिंह दत्तक पुत्र देवीसिंह शेखावत आयु वर्ष जाति राजपूतनिवासी
ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—वादी—

बनाम

1. रूपकंवर पत्नी स्व. हणमानसिंह
2. मालसिंह पुत्र स्व. हणमानसिंह
3. प्रेम कंवर पुत्री स्व. हणमानसिंह
4. कंचन कंवर पुत्री स्व. हणमानसिंह
5. किरण कंवर पत्नी स्व. दीनसिंह
6. भवानी सिंह पुत्र स्व. दीनसिंह
7. शंकरसिंह पुत्र स्व. दीनसिंह
8. किशनसिंह पुत्र स्व. दीनसिंह
9. अन्तर कंवर पुत्री स्व. दीनसिंह
10. कमोद कंवर पुत्र स्व. दीनसिंह
11. रिसाल कंवर पत्नी स्व. लक्ष्मणसिंह
12. दशरथसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह
13. मंजू कंवर पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह
14. श्रवणसिंह पुत्र स्व. रामकुंवार सिंह
15. छगन कंवर पुत्री स्व. रामकुंवार सिंह
16. दरियाब कंवर पत्नी स्व. भागीरथसिंह



Dilip Singh
27/12/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

- 17 श्योदानसिंह पुत्र स्व. भागीरथसिंह
- 18 वैरुसिंह पुत्र स्व. भागीरथसिंह
- 19 स्वरूप कंवर पुत्री स्व. भागीरथसिंह
20. विनोद कंवर पुत्री स्व. भागीरथसिंह
21. नरेश कंवर पत्नी स्व. मूलसिंह
22. जीतूसिंह पुत्र स्व. मूलसिंह
23. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. मूलसिंह
24. सुनिता कंवर पुत्री स्व. मूलसिंह
25. कर्णसिंह पुत्र स्व. प्रहलादसिंह
26. बबलूसिंह पुत्र स्व. प्रहलादसिंह
27. अनिता कंवर पुत्री स्व. प्रहलादसिंह
28. पिकी कंवर पुत्री स्व. प्रहलादसिंह
29. कैलाश कंवर पत्नी स्व. झाबरसिंह
30. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. झाबरसिंह
31. कर्णसिंह पुत्र स्व. झाबरसिंह
32. मोहनसिंह पुत्र स्व. सुरजनसिंह
33. गुमान कंवर पुत्री स्व. सुरजनसिंह



समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला
सीकर (राज0)

34. पटवारी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
राजस्थान।
35. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
36. शाखा प्रबन्धक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अजीतगढ़ तहसील
श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

D. Singh
22/11/23
दिलीप सिंह
2 अध्यक्ष कलेक्टर (राज. बैंक)
श्रीमाधोपुर (नोमकयान)

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :-

श्रीअनिल यादवएड0,वादी अभिभाषक।

श्री बजरंग लाल यादवएड0, प्रतिवादी संख्या 1 ता 33 अभिभाषक।

दावा बाबतउदषोषणाएवंस्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगणके इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर कृषि भूमि खसरा नम्बर 6719, 6721 कुल किता 2 कुल रकबा 2.06 हैक्टर तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी मृत्तक गणेशसिंह पुत्र इन्द्रसिंह व मृत्तक हणमानसिंह पुत्र कानसिंह के नाम दर्ज है। उक्त भूमि अलमशहूर नाडीयाला के नाम से जानी जाती है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 6697 कुल किता 1 कुल रकबा 0.52 हैक्टर तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी मृत्तक रामकुवार पुत्र इन्द्रसिंह के नाम दर्ज है। उक्त भूमि अलमशहूर नाडीयाला (रोलिया) के नाम से जानी जाती है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 6717, 6718 कुल किता 2 कुल रकबा 0.45 हैक्टर तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी मृत्तक सुरजनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह के नाम दर्ज है। उक्त भूमि अलमशहूर नाडीयाला के नाम से जानी जाती है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 6510, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6645, 6720, 7557, 7558, 7559, 7560, 7592, 7593, 7594 कुल किता 17 कुल रकबा 5.78 तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी मृत्तक सोन कंवर पत्नी नारायणसिंह के नाम दर्ज है। उक्त

भूमि अलमशहूर ढोली(पूरी) के नाम से जानी जाती है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 7582, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7596, 7627, 7630, 7632, 7633 कुल किता 11 कुल रकबा 5.93 हैक्टर तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं जिसकी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण व मृत्तक गणेशसिंह, देवीसिंह, दीनसिंह, नारायणसिंह, रजनीतसिंह, सुरजनसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार अंकित है। उक्त भूमि अलमशहूर ग्यानाला टिबा उपरलाकुंआ डाबाला के नाम से जानी जाती है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार खानदान के है। पक्षकारान एक ही परिवार के होकर इन्द्रसिंह उर्फ इन्द्राजसिंह के वारिसान हैं। इन्द्रसिंह के पांच पुत्र संतान कानसिंह, नारायणसिंह, गणेशसिंह, सुरजनसिंह, रामकुंवारसिंह उत्पन्न हुये है ये भी फौत हो चुके है तथा पक्षकारान उपरोक्तानुसार आपस में एक ही परिवार के है तथा भूमि वर्णित मद नम्बर 1 ता 5 वादपत्र पक्षकारान की पारिवारिक भूमिया हैं। भूमि वर्णित मद नम्बर 1 ता 5 वादपत्र बाबत पक्षकारान के बुजुर्गान की अर्थात अपने मृत्तक पूर्वज कानसिंह, नारायणसिंह, गणेशसिंह, सुरजनसिंह, रामकुंवारसिंहके जीवनकाल में ही अर्थात 50 वर्ष से भी अधिक पूर्व से बाहमी पारिवारिक समझौता होकर उपरोक्त भूमि को अलग-अलग बांटकर अलग-अलग काश्त करते आ रहे है। पारिवारिक समझौता कदीमी के अनुसार भूमि वर्णित मद नम्बर 1 वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बर 6719 रकबा 0.52 हैक्टर में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 मालसिंह, रूप कंवर, प्रेमकंवर, कंचनकंवरके एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 32 मोहनसिंह के एवं 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 14 श्रवणसिंह के एवं 1/6 हिस्सा भवानीसिंह, शंकरसिंह, किशनसिंह, किरणकंवर, अन्तरकंवर, कमोद कंवर प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 10 के हिस्से में आयी है एवं खसरा नम्बर 6721 रकबा 1.54 हैक्टर में 1/3 हिस्सा मालसिंह, रूपकंवर, प्रेमकंवर, कंचनकंवर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के एवं 1/12 हिस्सा श्रवणसिंह, 1/12 हिस्सा वादी नन्दसिंह व 1/12 हिस्सा दशरथसिंह, रिसालकंवर, मंजू कंवर व 1/12 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 11 से 13 व 1/12 हिस्सा भवानीसिंह, शंकरसिंह, किशनसिंह किरणकंवर,



अंतरकंवर कमोद कंवर प्रतिवादी नम्बर 5 ता 10 के हिस्से में आया हुआ है एवं शेष 1/15 हिस्सा मूलसिंह के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 21 से 24 के हिस्से व 1/15 हिस्सा मोहनसिंह प्रतिवादी नम्बर 32 व 1/15 हिस्सा श्योदानसिंह, भैरूसिंह, दरियाकंवर, स्वरूपकंवर, विनोद कंवर प्रतिवादी नम्बर 16 ता 20 के, 1/15 हिस्सा कैलाशकंवर, नरेन्द्रसिंह, कर्णसिंह प्रतिवादी नम्बर 29 ता 31 एवं 1/15 करणसिंह, बबलूसिंह अनीता कंवर, पिकी कंवर प्रतिवादीगण नम्बर 25 ता 28 के हिस्से में आया हुआ है। उपरोक्त वर्णित भूमि कदीमी पारिवारिक समझौता अनुसार खसरा नम्बर 6697 रकबा 0.52 हैक्टर में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 मालसिंह, रूपकंवर, प्रेमकंवर, कंचन कंवर के एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 32 मोहनसिंह के एवं 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 14 श्रवणसिंह के एवं 1/6 हिस्सा भवानीसिंह, शंकरसिंह, किशनसिंह, किरणकंवर, अन्तर कंवर, कमोद कंवर प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 10 के हिस्से में आयी है। उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 6717, 6718 में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 मालसिंह रूपकंवर, प्रेमकंवर, कंचनकंवर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के एवं 1/3 हिस्सा मोहनसिंह प्रतिवादी नम्बर 32 के हिस्से में आया हुआ है एवं 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 श्रवणसिंह के एवं 1/6 हिस्सा भवानीसिंह, शंकरसिंह, किशनसिंह, किरणकंवर, अंतरकंवर कमोद कंवर प्रतिवादीगण नम्बर 5 से 10 के हिस्से व बंटवारे में कदीमी पारिवारिक समझौते में आयी है। उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 6525, 6526 सम्पूर्ण कैलाशकंवर, नरेन्द्रसिंह, कर्णसिंह प्रतिवादी नम्बर 29,30,31 के एवं खसरा नम्बर 6510, 6527 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 6528 में से 0.13 हैक्टर मालसिंह, रूपकंवर, प्रेमकंवर, कंचनकंवर प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3, 4 के हिस्से में आयी हुयी है एवं खसरा नम्बर 6528 रकबा 0.63 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर व खसरा नम्बर 6529 रकबा 0.50 हैक्टर सम्पूर्ण दशरथसिंह, रिसाल कंवर, मंजू कंवर प्रतिवादीगण नम्बर 11, 12, 13 के हिस्से व बंटवारे में आयी है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 6523 व खसरा नम्बर 6524 में से 1/3 हिस्सा मालसिंह, रूपकंवर, प्रेमकंवर, कंचनकंवर प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3, 4 के हिस्से में आया हुआ है एवं 1/3 हिस्सा



कैलाश कंवर, नरेन्द्रसिंह, कर्णसिंह प्रतिवादीगण नम्बर 29, 30, 31 एवं 1/6 हिस्सा दशरथसिंह, रिसाल कंवर, मंजू कंवर प्रतिवादीगण नम्बर 11, 12, 13 के एवं शेष 1/6 हिस्सा नन्दसिंह वादी के हिस्से व बंटवारे में कदीमी पारिवारिक समझौते में आयी है एवं खसरा नम्बर 6645 में से 1/3 हिस्सा मालसिंह, प्रेमकंवर, कचनकंवर, रूपकंवर प्रतिवादीगण 1 ता 4 के हिस्से में आया हुआ है, एवं 1/6 हिस्सा मोहनसिंह प्रतिवादी संख्या 32 एवं 1/6 हिस्सा श्योदानसिंह, भैरूसिंह, दरियाबकंवर, स्वरूपकंवर, विनोद कंवर प्रतिवादीगण नम्बर 16 से 20 के हिस्से में एवं 1/12 हिस्सा किरणकंवर, भवानीसिंह, शंकरसिंह, किशनसिंह, अन्तरकंवर, कमोदकंवर प्रतिवादी नम्बर 5 ता 10 व 1/8 हिस्सा नन्दसिंह वादी, 1/8 हिस्सा दशरथसिंह, मंजूकंवर, रिसालकंवर प्रतिवादीगण नम्बर 11, 12, 13 के हिस्से में आया हुआ है एवं खसरा नम्बर 7557, 7558, 7559, 7560, 7592, 7593 में से 1/3 हिस्सा श्योदानसिंह, भैरूसिंह, दरियाबकंवर, सुप्यारकंवर, विनोद कंवर प्रतिवादी नम्बर 16 से 20 के हिस्से में एवं 1/3 हिस्सा मालसिंह, रूपकंवर, प्रेमकंवर, कचन कंवर प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3, 4 एवं 1/6 हिस्सा श्रवणसिंह प्रतिवादी नम्बर 14 के हिस्से में एवं 1/6 हिस्सा भवानीसिंह, शंकरसिंह, किशनसिंह, किरणकंवर, अन्तरकंवर, कमोद कंवर प्रतिवादी नम्बर 5 ता 10 हिस्से के में आया हुआ है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 7594 सम्पूर्ण नन्दसिंह वादी के हिस्से व बंटवारे में कदीमी पारिवारिक समझौते में आया हुआ है व खसरा नम्बर 6720 में से 1/3 हिस्सा मालसिंह, रूपकंवर, प्रेमकंवर, कचनकंवर प्रतिवादी नम्बर 1/ता 4 के हिस्से में एवं 1/3 हिस्सा मोहनसिंह प्रतिवादी नम्बर 32 के हिस्से में व 1/6 हिस्सा श्रवणसिंह प्रतिवादी नम्बर 14 के हिस्से में एवं 1/6 हिस्सा भवानीसिंह, शंकरसिंह, किशनसिंह, किरणकंवर, अन्तरकंवर, कमोद कंवर प्रतिवादी नम्बर 5 ता 10 के आया हुआ है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 7582 रकबा 0.45 हैक्टर सम्पूर्ण श्योदानसिंह, भैरूसिंह, दरियाबकंवर, सुप्यारकंवर, विनोद कंवर प्रतिवादीगण नम्बर 16 से 20 के हिस्से में बहिस्सा बराबर हिस्से में आयी हुयी हैं एवं खसरा नम्बर 7587 रकबा 0.72 हैक्टर में से 0.60 हैक्टर भूमि कैलाश कंवर,



नरेन्द्रसिंह, कर्णसिंह प्रतिवादीगण नम्बर 29, 30, 31 के एंव शेष 0.12 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा मालसिंह रूपकंवर, प्रेमकंवर, कंचनकंवर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के हिस्से में आयी हुयी है व शेष में से 1/4 हिस्सा श्रवणसिंह प्रतिवादी नम्बर 14 व शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 5 ता 10 के हिस्से में एंव खसरा नम्बर 7588 में 1/2 हिस्सा मालसिंह रूपकंवर, प्रेमकंवर, कंचनकंवर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के हिस्से में आयी हुयी हैं एंव 1/4 हिस्सा भवानीसिंह, शंकरसिंह, किशनसिंह, किरणकंवर, अंतरकंवर, कमोद कंवर प्रतिवादीगण नम्बर 5 से 10 के एंव शेष 1/4 हिस्सा श्रवणसिंह प्रतिवादी नम्बर 14 के हिस्से व बंटवारे में कदीमी पारिवारिक समझौते में आयी है एंव खसरा नम्बर 7589 में से 1/2 हिस्सा कैलाशकंवर, नरेन्द्रसिंह, कर्णसिंह प्रतिवादीगण नम्बर 29, 30, 31 के एंव शेष 1/2 हिस्सा श्योदानसिंह, भैरूसिंह, दरियाबकंवर, स्वरूपकंवर, विनोद कंवर प्रतिवादी नम्बर 16, 17, 18, 19, 20 के हिस्से में आया हुआ है एंव खसरा नम्बर 7590 रकबा 1.02 हैक्टर में से 0.93 हैक्टर मालसिंह रूपकंवर, प्रेमकंवर, कंचनकंवर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के हिस्से में आयी हुयी हैं एंव शेष 0.09 हैक्टर वादी नन्दसिंह के के हिस्से में आयी हुयी हैं एंव खसरा नम्बर 7591 सम्पूर्ण वादी नन्दसिंह के हिस्से में आयी हुयी है एंव खसरा नम्बर 7596 में 1/3 हिस्सा मालसिंह रूपकंवर, प्रेमकंवर, कंचनकंवर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के हिस्से में आयी हुयी हैं एंव 1/3 हिस्सा वादी नन्दसिंह के एंव 1/6 कैलाशकंवर, नरेन्द्रसिंह, कर्णसिंह प्रतिवादीगण नम्बर 29, 30, 31 के एंव शेष 1/6 हिस्सा श्योदानसिंह, भैरूसिंह, दरियाबकंवर, सुप्रारकंवर, विनोद कंवर प्रतिवादीगण नम्बर 16 ता 20 के हिस्से में आया हुआ है एंव खसरा नम्बर 7627 रकबा 0.47 हैक्टर में से 0.42 हैक्टर मालसिंह, रूपकंवर, प्रेमकंवर, कंचनकंवर प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 3, 4 के हिस्से में एंव शेष 0.05 हैक्टर वादी नन्दसिंह के हिस्से व बंटवारे मे आया हुआ है एंव खसरा नम्बर 7630 सम्पूर्ण वादी नन्दसिंह के हिस्से व बंटवारे में आया हुआ हैं एंव खसरा नम्बर 7632 रकबा 0.31 हैक्टर में से 0.29 हैक्टर मालसिंह, रूपकंवर, प्रेमकंवर, कंचनकंवर प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 3, 4 के हिस्से में एंव शेष 0.02 हैक्टर वादी नन्दसिंह के



बटवारे में आया हुआ है एवं खसरा नम्बर 7633 सम्पूर्ण वादी नन्दसिंह के हिस्से में आया हुआ है। पक्षकारान अपने पूर्वजों के समय से हुये बाहमी पारिवारिक समझौता अर्थात् चालीस वर्ष से भी अधिक समय पूर्व से इसी अनुसार भूमियों को बांटकर अच्छी बुरी के हिसाब से अपने हिस्से में आयी भूमियों पर काबिज काश्त कदीम से चले आ रहे हैं तथा उक्तानुसार उक्त भूमियों में दर्ज मृत्तक खातेदारान का नाम हजफ कराकर खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। खातेदारी के अभाव में वादी, खातेदारों को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, ना ही खातेदारी के अभाव में अपनी भूमियों का समुचित विकास कर पा रहे हैं। पूर्व में पक्षकारान के मध्य आपस में काफी प्रेम व सौहार्द का वातावरण चला आ रहा था परन्तु प्रतिवादीगण के मन में भूमियों की बढ़ती हुयी कीमतों को देखकर बदनियति आ गयी है। अर्सा कदीम एक माह पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण को कदीमी बाहमी पारिवारिक समझौते के अनुसार वादी के हिस्से में आयी भूमियों की खातेदारी उनके नाम दर्ज करवाने बाबत कहा तो वे पहले तो हां करते रहे व विश्वास दिलाते रहे। अब दिनांक 05.06.2023 को स्पष्ट इन्कार हो गये व वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में मजाहमत करने पर आमादा हो गये। यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। जमीनों की बढ़ती कीमतों के कारण प्रतिवादीगण के मन में बेइमानी आ गई है एवं प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गये हैं व आये दिन भूमाफिया व्यक्तियों को उक्त भूमि को बेचान करने के लिए लाते हैं एवं प्रतिवादीगण, वादीगण को उक्त भूमि को हस्तान्तरण करने की कुचेष्टा में हैं व वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी भी दे रहे हैं इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित होगा। वाद कारण दिनांक 05.06.2023 प्रतिवादीगण द्वारा वादी के नाम खातेदारी दुरुस्त कराने से इन्कार होने व वादी के हिस्से में बाहमी पारिवारिक समझौते अनुसार आयी भूमियों में शांतिपूर्ण कब्जे काश्त हक हिस्सा की भूमि में मजाहमत करने व वादीगण को जोर जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने व दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को बेचान



करने, रहन रखने तथा भूमि को खुर्दबुर्द करने तथा कृषि भूमि से अकृषि में तब्दील करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है व लगातार हो रहा है। वादी अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 6719, 6721 कुल किता 2 कुल रकबा 2.06 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 6697 कुल किता 1 कुल रकबा 0.52 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 6717, 6718 कुल किता 2 कुल रकबा 0.45 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 6510, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6645, 6720, 7557, 7558, 7559, 7560, 7592, 7593, 7594 कुल किता 17 कुल रकबा 5.78 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 7582, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7596, 7627, 7630, 7632, 7633 कुल किता 11 कुल रकबा 5.93 हैक्टर तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त वर्णितानुसार पक्षकारान को काबिज खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर एक दूसरे पक्षकार के हक हिस्से में आयी हुयी भूमि से अन्य पक्षकारान का नाम हजफ फरमाते हुये पक्षकारान के मध्य उपरोक्तानुसर भूमियो का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिक विभाजन किया जाकर खातेदार अलग-अलग बट्टा नम्बर डालकर लगान कायम कर नक्शा ट्रेस मे तरमीम किया जावेएवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया करवाने हेतु निवेदन किया।



इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 34 ता 36 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 33 की ओर से श्री बजरंग लाल यादव एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। वकील वादी ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादी की पहचान वकील वादी श्री अनिल यादव एड0 ने की एवं उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 33 की

पहचान श्री बजरंग लाल यादव ने की। उपरिष्ठत पक्षकारान को राजीनामा पत्रकार सुनाया गया। जिसे पक्षकारान ने सुन व समझकर स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी वपक्षकारान ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में पक्षकारान द्वारा आपसी समझौता/राजीनामा पेश होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074-2077 पांच जमाबंदीयों, राजीनामा इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 33 व इनके पिता/माता, बुजुर्गान के नाम हिस्सानुसार दर्ज रिकॉर्ड होना प्रकट होता है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए आपसी समझौते/राजीनामा अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 6719 रकबा 0.52 हैक्टर में

1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 32 के एवं 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 14 के एवं 1/6 हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 10 के हिस्से में आयी है एवं खसरा नम्बर 6721 रकबा 1.54 हैक्टर में 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के एवं 1/12 हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 14,

1/12 हिस्सा वादी व 1/12 हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 11 ता 13 व 1/12 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 5 ता 10 के हिस्से में आया हुआ है एवं शेष 1/15 हिस्सा मूलसिंह के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 21 से 24 के हिस्से व 1/15 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 32 व 1/15 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 16 ता 20 के, 1/15 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 29 ता 31 एवं 1/15 प्रतिवादीगण नम्बर 25 ता 28 के हिस्से में आया हुआ है। उपरोक्त वर्णित भूमि कदीमी पारिवारिक समझौता अनुसार खसरा नम्बर 6697 रकबा 0.52 हैक्टर में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 मालसिंह,



नंबर 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 14 के हिस्से में एवं 1/6 हिस्सा प्रतिवादी
 नंबर 5 ता 10 के आया हुआ है। उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर 7582 रकबा 0.45
 हैक्टर सम्पूर्ण प्रतिवादीगण नंबर 16 से 20 के हिस्से में बहिस्सा बराबर हिस्से में
 आयी हुयी हैं एवं खसरा नंबर 7587 रकबा 0.72 हैक्टर मे से 0.60 हैक्टर भूमि
 प्रतिवादीगण नंबर 29 ता 31 के एवं शेष 0.12 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा
 प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 4 के हिस्से में आयी हुयी है व शेष में से 1/4 हिस्सा
 प्रतिवादी नंबर 14 व शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 5 ता 10 के हिस्से में एवं
 खसरा नंबर 7588 में 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 4 के हिस्से में आयी
 हुयी हैं एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण नंबर 5 से 10 के एवं शेष 1/4 हिस्सा
 प्रतिवादी नंबर 14 के हिस्से व बंटवारे में कदीमी पारिवारिक समझौते में आयी है
 एवं खसरा नंबर 7589 में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण नंबर 29 ता 31 के एवं
 शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 16 ता 20 के हिस्से में आया हुआ है एवं खसरा
 नंबर 7590 रकबा 1.02 हैक्टर में से 0.93 हैक्टर प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 4 के
 हिस्से में आयी हुयी हैं एवं शेष 0.09 हैक्टर वादी नन्दसिंह के के हिस्से में आयी
 हुयी हैं एवं खसरा नंबर 7591 सम्पूर्ण वादी नन्दसिंह के हिस्से में आयी हुयी है
 एवं खसरा नंबर 7596 में 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 4 के हिस्से में
 आयी हुयी हैं एवं 1/3 हिस्सा वादी नन्दसिंह के एवं 1/6 प्रतिवादीगण नंबर 29
 ता 31 के एवं शेष 1/6 हिस्सा प्रतिवादीगण नंबर 16 ता 20 के हिस्से में आया
 हुआ है एवं खसरा नंबर 7627 रकबा 0.47 हैक्टर में से 0.42 हैक्टर प्रतिवादीगण
 नंबर 1 ता 4 के हिस्से में एवं शेष 0.05 हैक्टर वादी नन्दसिंह के हिस्से व बंटवारे
 में आया हुआ है एवं खसरा नंबर 7630 सम्पूर्ण वादी नन्दसिंह के हिस्से व बंटवारे
 में आया हुआ हैं एवं खसरा नंबर 7632 रकबा 0.31 हैक्टर में से 0.29 हैक्टर
 प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 4 के हिस्से में एवं शेष 0.02 हैक्टर वादी नन्दसिंह के
 बंटवारे मे आया हुआ है एवं खसरा नंबर 7633 सम्पूर्ण वादी नन्दसिंह के हिस्से में
 आया हुआ है। उक्तानुसार उपरोक्त भूमियों में खातेदारी अंकित होती है तो
 प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति किसी किश्म की नहीं है। उक्तानुसार राजस्व



श्रीमधोपुर (नोमकायान्त)
 श्रीमधोपुर (नोमकायान्त)

अभिलेख को दुरुस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत ईस्तकरार हक, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्डको स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की कृषि भूमि खसरा नम्बर 6719 रकबा 0.52 हैक्टर में 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 को, 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 32 को, 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 14 को, 1/6 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 10 को एवं भूमि खसरा नम्बर 6721 रकबा 1.54 हैक्टर में 1/3 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को, 1/12 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 14 को, 1/12 हिस्सा का वादी को, 1/12 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 11 ता 13 को, 1/12 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 5 ता 10 को, शेष 1/15 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 21 ता 24 को, 1/15 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 32 को, 1/15 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 16 ता 20 को, 1/15 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 29 ता 31 को, 1/15 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 25 ता 28 को एवं भूमि खसरा नम्बर 6697 रकबा 0.52 हैक्टर में 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 को, 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 32 के, 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 14 को, 1/6 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 10 को एवं भूमि खसरा नम्बर 6717, 6718 में 1/3 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को, 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 32 को, 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 14 को, 1/6 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 10 को एवं भूमि खसरा नम्बर 6525 व 6526 हिस्सा सम्पूर्ण का प्रतिवादी नम्बर 29 ता 31 को एवं भूमि खसरा नम्बर 6510 व 6527 हिस्सा सम्पूर्ण, 6528 में से 0.13 हैक्टर का प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 को, भूमि खसरा



Rathore
27/12/23
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नौमकाथाना)

नम्बर 6528 रकबा 0.63 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 6529 रकबा
 0.50 हैक्टर हिस्सा सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण नम्बर 11 ता 13 को, भूमि खसरा
 नम्बर 6523 व भूमि खसरा नम्बर 6524 में से 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 1
 ता 4 को, 1/3 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 29 ता 31 को, 1/6 हिस्सा का
 प्रतिवादीगण नम्बर 11 ता 13 को, शेष 1/6 हिस्सा का वादी कोएवं भूमि खसरा
 नम्बर 6645 में से 1/3 हिस्सा का प्रतिवादीगण 1 ता 4 का, 1/6 हिस्सा का
 प्रतिवादी संख्या 32 को, 1/6 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 16 ता 20 को,
 1/12 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 5 ता 10 को व 1/8 हिस्सा का वादी को,
 1/8 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 11 ता 13 कोएवंभूमि खसरा नम्बर 7557,
 7558, 7559, 7560, 7592, 7593 में से 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 16 ता 20
 को, 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 को, 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर
 14 को, 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 5 ता 10 को एवंभूमि खसरा नम्बर 7594
 सम्पूर्ण हिस्सा का वादी का एवंभूमि खसरा नम्बर 6720 में से 1/3 हिस्सा का
 प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 को, 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 32 को, 1/6 हिस्सा
 का प्रतिवादी नम्बर 14 को, 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 5 ता 10 को एवंभूमि
 खसरा नम्बर 7582 रकबा 0.45 हैक्टर सम्पूर्ण हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 16 ता
 20 को बहिस्सा बराबर-बराबर एवं भूमि खसरा नम्बर 7587 रकबा 0.72 हैक्टर में
 से 0.60 हैक्टर भूमि का प्रतिवादीगण नम्बर 29 ता 31 को, शेष 0.12 हैक्टर में से
 1/2 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को व शेष में से 1/4 हिस्सा का
 प्रतिवादी नम्बर 14 को व शेष 1/4 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 5 ता 10
 कोएवंभूमि खसरा नम्बर 7588 में से 1/2 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4
 को, 1/4 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 5 से 10 को, शेष 1/4 हिस्सा का
 प्रतिवादी नम्बर 14 को एवंभूमि खसरा नम्बर 7589 में से 1/2 हिस्सा का
 प्रतिवादीगण नम्बर 29 ता 31 को, शेष 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 16 ता 20
 कोएवं भूमि खसरा नम्बर 7590 रकबा 1.02 हैक्टर में से 0.93 हैक्टर का
 प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को, शेष 0.09 हैक्टर का वादी कोएवं भूमि खसरा



नम्बर 7591 सम्पूर्ण हिस्सा कावादी कोएवं भूमि खसरा नम्बर 7596 में से 1/3 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को, 1/3 हिस्सा का वादी को, 1/6 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 29 ता 31 को, शेष 1/6 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 16 ता 20 कोएवंभूमि खसरा नम्बर 7627 रकबा 0.47 हैक्टर में से 0.42 हैक्टर का प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को, शेष 0.05 हैक्टर का वादी कोएवं भूमि खसरा नम्बर 7630 सम्पूर्ण हिस्सा का वादी कोएवंभूमि खसरा नम्बर 7632 रकबा 0.31 हैक्टर में से 0.29 हैक्टर का प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को, शेष 0.02 हैक्टर का वादीको एवं भूमि खसरा नम्बर 7633 सम्पूर्ण हिस्सा का वादी को आये हुये हिस्सों अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 33 को काबिज खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियों से एक-दूसरे पक्षकारान के हक हिस्से मे आयी हुई भूमि से अन्य पक्षकारान का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने एवं जिस पक्षकारान की भूमि प्रतिवादी संख्या 36 के रहननामा नहीं है, रहननामा हटाया जाकर उक्त भूमि रहन मुक्त की जाकर जिस पक्षकारान की भूमि प्रतिवादी संख्या 36 के रहननामा है, रहननामा बदस्तूर रखे जाने का आदेश दिया जाकर राजीनामा को डिक्री का भाग बनाया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जाँच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।



यह निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
 (दिलीप सिंह)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
 श्रीमाधोपुर

(Signature)
 (दिलीप सिंह)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
 श्रीमाधोपुर